माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल
ई–मेल : mpbse@mp.nic.in वेब साइट : www.mpbse.nic.in
☎ : कार्या– (0755) 2551650, 2761567 फैक्स – (0755) 2551499, 2552061

क्रमांक / 10 /डी.एड.सेल/2013 भोपाल, दिनांक 05/01/2013

प्रति,

प्राचार्य/संचालक
महाराजा अग्रसेन इन्स्टीट्यूट ऑफ मेनेजमेन्ट एण्ड साइंस,
प्लॉट नं.71/2 एण्ड 4/1, खैरिया मिर्धा,
पो. गिरगॉव, तह. ग्वालियर,
जिला–ग्वालियर (म.प्र.)

विषयः– डी.एड. पाठ्यक्रम संचालित करने हेतु सत्र 2012–13 से मण्डल की नवीन संबद्धता बावत्

––//––

एन.सी.टी.ई. द्वारा जारी मान्यता आदेश क्रमांक–WRC/5-6/163/WRCAPP994/2012/91412, दिनांक 21.06.2012 एवं आपकी संस्था द्वारा मण्डल में प्रस्तुत नवीन संबद्धता संबंधी आवेदन पत्र के परिप्रेक्ष्य में आपकी संस्था को डिप्लोमा इन एज्यूकेशन पाठ्यक्रम संचालित करने हेतु 50 विद्यार्थियों के इंटेक सहित सत्र 2012–13 से मण्डल की संबद्धता निम्न शर्तो के अन्तर्गत प्रदान की जाती हैः–

1. राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् द्वारा पाठ्यक्रम के संचालन हेतु निर्धारित मापदण्ड के अनुसार मूलभूत सुविधाएँ जैसे कि भवन की पर्याप्त व्यवस्था, पुस्तकालय, प्रयोग शाला, प्रशिक्षित टीचिंग एवं अन्य स्टाफ की व्यवस्था होनी चाहिये।

2. संस्था द्वारा छात्रों को डी.एड. में प्रवेश राज्य शासन द्वारा समय–समय पर जारी निर्धारित नियमों एवं आदेशों के अन्तर्गत ही दिया जावेगा।

3. मण्डल द्वारा संबद्धता जारी किये जाने के उपरान्त यदि किसी भी समय यह पाया जाता है कि संस्था द्वारा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, म.प्र. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा निर्धारित नियम एवं मा.शि.मण्डल द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम व नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है, तो मण्डल द्वारा प्रदत्त संस्था की संबद्धता समाप्त कर दी जावेगी।

4. मण्डल की संबद्धता प्राप्त कर लेने के बाद संस्था तब तक मण्डल से संबद्ध मानी जावेगी जब तक कि उसे एन.सी.टी.ई. से मान्यता प्राप्त है। इस हेतु संस्था को नियत समय के पूर्व प्रतिवर्ष वार्षिक संबद्धता शुल्क रुपये 2500/– (50 छात्रों के मान से) की राशि अथवा समय–समय पर मण्डल द्वारा निर्धारित वार्षिक संबद्धता शुल्क की राशि मण्डल में जमा करनी होगी। वार्षिक संबद्धता शुल्क जमा न करने की स्थिति में संस्था की मण्डल द्वारा प्रदत्त संबद्धता को समाप्त किया जा सकेगा।

5. एन.सी.टी.ई. द्वारा संस्था को प्रदत्त मान्यता समाप्त करने की दशा में मण्डल द्वारा संस्था को प्रदत्त संबद्धता भी उसी के साथ स्वतः समाप्त मानी जावेगी।

6. मण्डल द्वारा संबद्धता प्रदान किये जाने के बाद यदि किसी भी समय मण्डल के संज्ञान में आता है कि संस्था द्वारा संबद्धता प्राप्त करने के प्रयोजन से कोई तथ्य छिपाया गया है अथवा छल पूर्वक संबद्धता प्राप्त की गई है, तो ऐसी स्थिति में मण्डल द्वारा संस्था को प्रदत्त की गई संबद्धता बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त कर दी जावेगी।

7. परीक्षा निकाय होने की हैसियत से मण्डल का यह सर्वोपरि दायित्व है कि वह संबद्धता प्राप्त संस्थाओं का समय समय पर निरीक्षण कर यह सुनिश्चत करे कि संस्थाओ द्वारा विधिवत् पाठ्यक्रम का संचालन किया जा रहा है। अतः संबद्धता प्राप्त संस्थाओं का भी यह दायित्व बनता है कि वे म.प्र. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग अथवा मा.शि.मण्डल द्वारा नियुक्त निरीक्षणकर्ताओं को पूरा

D:\ded_cell-2012-13\latter.doc

Sudha Agarwal
सचिव
दौलतराम जुगलकिशोर शिक्षा समिति, ग्वालियर

सहयोग प्रदान कर विधिवत् रुप से अपनी संस्थाओं का निरीक्षण करवाये अन्यथा की स्थिति में मण्डल द्वारा संस्था को प्रदत्त संबद्धता को समाप्त करने की कार्यवाही की जावेगी।

8. एन.सी.टी.ई. द्वारा संस्था को जिस पते पर मान्यता जारी की गई है वही पता मान्य किया जायेगा। संस्था के पते में परिवर्तन उसी स्थिति में मान्य किया जायेगा जब संस्था को एन.सी.टी.ई. द्वारा विधि अनुसार पते में परिवर्तन की अनुमति दी गई हो तथा तद संबंधी सूचना मण्डल को प्राप्त हो चुकी हो। संस्थाओं द्वारा बगैर एन.सी.टी.ई. की अनुमति के, स्वयं के स्तर से पते में परिवर्तन संबंधी आवेदनों को अमान्य माना जावेगा।

9. संस्थाओं की संबद्धता जारी करने/समाप्त करने के प्रकरणों में अध्यक्ष/सचिव मा.शि. मण्डल, म.प्र. भोपाल का आदेश अंतिम मान्य होगा जिसका पालन प्रत्येक संस्था के अध्यक्ष/सचिव/प्राचार्य को करना अनिवार्य होगा।

सचिव
माध्यमिक शिक्षा मण्डल, म.प्र.
भोपाल

पृ. क्रमांक/ 11 /डी.एड./2013 भोपाल दिनांक 05/01/2013

प्रतिलिपि:-

1. संचालक, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्, मानस भवन, श्यामला हिल्स, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
2. जिला शिक्षा अधिकारी, जिला शिक्षा कार्यालय, ग्वालियर (म.प्र.) की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
3. प्राचार्य जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान ग्वालियर (म.प्र.) की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
4. संभागीय अधिकारी, संभागीय कार्यालय, मा.शि.मण्डल, ग्वालियर (म.प्र.) की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

सचिव
माध्यमिक शिक्षा मण्डल, म.प्र.
भोपाल

Sudha Agarwal
सचिव
दौलतराम जुगलकिशोर शिक्षा समिति, ग्वालियर